आ0श0प0सं0–3486 / 08(छ) / 97–TC

प्रेषक,

श्री एस.आर.लाखा,
निदेशक / अध्यक्ष,
सूडा।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
अध्यक्ष जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। लखनऊः दिनाँकः 21 फरवरी, 2000

विषयः. नगरीय आश्रय सुधार योजना के अन्तर्गत लाभान्वित लाभार्थियों के ऋण की वसूली के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि आपके जनपद के चयनित नगर में नेहरू रोजगार योजना एवं पी0एम0आई0यू0पी0इ0पी0 योजना के अन्तर्गत नगरीय निर्धनों को आश्रय सुधार योजना में लाभान्वित किया जा रहा है, इस योजना में लाभर्थियों से वितरित ऋण की वसूली निर्धारित अवधि के अन्दर की जानी है, परन्तु यह अत्यन्त ही खेद का विषय है कि जनपद स्तर पर लाभार्थियों से वसूली के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे धन के दुरूपयोग की संभावना बनी हुई है।

अतः उक्त के सन्दर्भ में वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु प्रारूप संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अधिकारी द्वारा तीन दिन के अन्दर सूचना मुख्यालय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एस.आर.लाखा)
निदेशक / अध्यक्ष
सूडा

पत्रांक एवं दिनांक तदैव :–

प्रतिलिपि :

(1) संबंधित परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण ।
(2) परियोजना अधिकारी / सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु सुनिश्चित करने हेतु।

(एस.आर.लाखा)
निदेशक / अध्यक्ष
सूडा